पाक के लिए कोई नई बात नही

नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छी बात यह भी है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे शाहबाज शरीफ ने स्पष्ट किया है, उनकी सरकार बदले की भावना से कोई काम नहीं करेगी।

अनुप जोशी।।

आखिर पाकिस्तानी नैशनल असेंबली की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद इमरान सरकार गिर गई और शाहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की राह साफ हो गई। हालांकि किसी प्रधानमंत्री का तय समय से पहले पद से हट जाना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। वहां आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाया है। लेकिन इमरान खान इस मामले में जरूर खास कहे जा सकते हैं कि वह अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। शायद वह ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को नैशनल असेंबली में पेश किए जाने और उस पर वोटिंग करवाए जाने से रोकने की आखिरी पल तक हर संभव कोशिश करते रहे। इसी क्रम में पाकिस्तान एक ऐसे राजनीतिक और संवैधानिक संकट में फंस गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की सामयिक कार्रवाई की बदौलत पाकिस्तान का यह संवैधानिक और राजनीतिक संकट लंबा नहीं खिंचा, लेकिन देश की नैशनल असेंबली में विरोधी दलों द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश से जोड़कर और उसमें अमेरिका का सीधे तौर पर नाम लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ही देश के लिए अटपटी स्थिति पैदा कर दी।

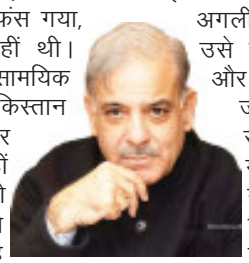

वैसे, पाकिस्तानी आर्मी ने तुरंत इस पर तस्वीर साफ की। उसने विदेशी साजिश की आशंका से इनकार किया। फिर भी इमरान की बयानबाजी से पाकिस्तान की अगली सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। उसे विदेश नीति के मोर्चे पर अब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हालात से जूझना पड़ेगा। वैसे, विदेशी साजिश के इस पहलू से जुड़ा मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई याचिका स्वीकार कर ली है। बहरहाल, पाकिस्तान में यह अनिश्चिततापूर्ण दौर बीत चुका है। नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छी बात यह भी है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे शाहबाज शरीफ ने स्पष्ट किया है, उनकी सरकार बदले की भावना से कोई काम नहीं करेगी। वह अतीत की तल्खियां भुलाकर भविष्य की ओर रुख करते हुए चलेगी। ध्यान रहे शाहबाज शरीफ पीएमएल–एन के नेता ही नहीं, उस नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, जिनका सेना से अनबन का इतिहास रहा है। यही नहीं सत्तारूढ़ मोर्चे के एक अहम नेता बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिनके परिवार के फौज से खट्टे–मीठे रिश्ते भी जगजाहिर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल अभी से पूछा जाने लगा है कि नई सरकार भी कितने दिन टिक पाएगी। इसीलिए शाहबाज शरीफ अगर कह रहे हैं कि उनके लिए अतीत का हिसाब–किताब दुरुस्त करने के बजाय भविष्य की चुनौतियों से निपटना ज्यादा अहम है तो यह सभी संबद्ध पक्षों के लिए उपयुक्त संदेश है। यही नजरिया पाकिस्तान को स्थिरता प्रदान कर सकता है।

अवसाद का सामना

अशोक वोहरा। घर की उत्तर–पूर्व दिशा में स्टोर रूम बनाने या वहां फालतू चीजें रखने से भी वहां रहने वाले लोगों को गहरे अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। सबसे सही समाधान यह है कि उन सामानों को संबंधित दिशा क्षेत्रों में रखना चाहिए। अपने घर के मन्दिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजाना चाहिए जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बहार निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है । घर के पूजा–स्थल में देवी–देवताओं पर चढ़ाएं गए पुष्प–हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्प–हार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने–सामने नहीं रखने चाहिए इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है।

धर्म-दर्शन

संपादकीय

व्हिप की मजबूरी

हमारे पास सांसदों की बहस को दबाने और उनकी पहल को हतोत्साहित करने वाला संस्थागत तंत्र है। दल–बदलविरोधी कानून किसी भी ऐसे सांसद या विधायक को दंडित करता है जो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के लिए छोड़ देता है। सांसद केवल व्हिप द्वारा हाइलाइट किए गए बटन को दबाने के लिए मजबूर हैं। भारत की 543 लोकसभा सीटों में से 250 पर ऐसे राजनेताओं का कब्जा है जो किसान होने का दावा करते हैं। कृषि कानूनों पर आवाज उठाने का हक इनमें से कितने सांसदों को हासिल हुआ? क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कि लोकतंत्र के मंदिर में एक सांसद के लिए आत्मविवेक के आधार पर अपनी बात कहना और मतदान करना असंभव हो गया है? हमारी संसद नए भारत की बदलती आकांक्षाओं और बेचैनियों को प्रतिबिंबित करे यह दरकार अगर खारिज हुई तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं ही होगा, यह नौबत भी आ सकती है कि विधायिका सीधे–सीधे कार्यपालिका की मोहताजी में काम करने लगे। संसद से परे, भारत में ज्यादातर सांसदों के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की क्षमता सीमित है। एमपीएलएडी पर विचार करें, जो सांसदों को स्थानीय जिला प्राधिकरण को चुनिंदा विकास पहलों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है और जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये है। इसकी तथ्यात्मक सचाई इस पूरी व्यवस्था और उसकी मंशा पर सवाल खड़े करती है। इस तरह के खतरे के प्रति सचेत होना संसदीय लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होना है।

संसद की कार्य उत्पादकता का आलम यह है कि वह इस साल के हालिया सत्र में 129 फीसद आंकी गई लेकिन बहस की संसदीय परंपरा इस दौरान तकरीबन समाप्त हो गई।

बिलों पर बहस नहीं

वरुण गांधी।।

भारतीय संसद के 2021 के मानसून सत्र में लोकसभा ने 18 से ज्यादा विधेयकों को औसतन 34 मिनट की चर्चा के साथ मंजूरी दे दी। पीआरएस इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक (2021) को लोकसभा में सिर्फ 12 मिनट की बहस के बाद मंजूरी मिल गई, जबकि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक (2021) पर महज पांच मिनट बहस हुई। एक भी विधेयक को संसदीय समिति के पास नहीं भेजा गया। सभी विधेयक ध्वनिमत से पास हुए। संसद की कार्य उत्पादकता का आलम यह है कि वह इस साल के हालिया सत्र में 129 फीसद आंकी गई लेकिन बहस की संसदीय परंपरा इस दौरान तकरीबन समाप्त हो गई। क्या संसद महज डाकघर बनकर रह गई है? विधान पर बहस संसदीय लोकतंत्र की घोषित खासियत है। 2013 में अमेरिका में सीनेटर टेड क्रूज को ओबामाकेयर पर बोलने के लिए संसद में 21 घंटे और 19 मिनट मिले। जब संसदीय कार्यवाही में इस तरह की बहस के लिए अलग से समय दिया जाता है, तो आम सहमति बनाते हुए कानून की गुणवत्ता में सुधार का रास्ता साफ होता है। इस बीच, भारत में कृषि कानून निरसन विधेयक–2021 महज आठ मिनट (लोकसभा में तीन मिनट, राज्यसभा में पांच मिनट) में पारित

हुआ। इस तरह सांसदों की संख्या कर्मचारियों की गिनती तक सीमित होकर रह गई। संविधान बनाने के लिए भारत की संविधानसभा की बहस दिसंबर 1946 को शुरू होकर 166 दिन तक चली, जो जनवरी 1950 में समाप्त हुई। इस पूरी कवायद का मकसद यह था कि संसदीय बहस की परंपरा को बहाल रखते हुए उसे मजबूती दी जाए और सांसदों के लिए विवेकसम्मत तरीके से मतदान की इजाजत हो।

वेस्टमिंस्टर में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को हर बुधवार हाउस ऑफ कॉमंस में सांसदों के सवालों के जवाब देने होते हैं। यह पटल पर रखे और दूसरे सवालों के अनुपूरक प्रश्नों का मिश्रण होता है। प्रधानमंत्री को नहीं पता होता कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे। इसका इतना महत्व है कि कोविड–19 के दौरान भी प्रधानमंत्री को वर्चुअली सांसदों के सवालों के जवाब देने पड़े, जबकि इस अवधि में भारत में प्रश्नकाल को ही समाप्त कर दिया गया।

जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक और साधन संसदीय समितियां हैं। अमेरिका में संसदीय समितियां कानूनों की जांच करती हैं, सरकारी नियुक्तियों की पुष्टि करती हैं, तफ्तीश करती हैं और सुनवाई करती हैं। 2013 में यूके में हाउस ऑफ कॉमंस ने एक सार्वजनिक सुनवाई तंत्र चलाया। इसके तहत जनता एक वेब पोर्टल के माध्यम से मसौदा कानून पर टिप्पणियां कर सकती थी। इस प्रक्रिया में 1,400 से अधिक टिप्पणियों के साथ करीब एक हजार लोगों ने भाग लिया। इसके उलट सामान्य तौर पर अपने देश में लंबी अवधि की विकास योजनाएं संसदीय जांच के अधीन नहीं हैं और इन्हें सालाना खर्च की घोषणा के तहत मंजूरी मिल जाती है। हालांकि इस तरह की समितियों को जब भी हस्तक्षेप का मौका मिला है, बेहतर नतीजे सामने आए हैं। मसलन, संयुक्त संसदीय समिति ने अक्टूबर 2013 में टेलिकॉम लाइसेंस और इनके आवंटन पर तथा दिसंबर 1993 में प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं पर विचार किया और इसका प्रभावशाली नतीजा सामने आया। संसदीय लोकतंत्र की एक बड़ी खासियत सांसदों को स्वायत्त पहल की इजाजत देना भी है। यह पहल कई बार प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर भी होती है। 2019 के बाद से यूके में सात निजी सदस्य विधेयक पास हुए हैं। यह संख्या कनाडा में छह रही।

अष्टयोग-5046

	6	1		2		3
7	32	5	31	3	30	1
4				7		
	22	2	40	6	39	
	3			5		
1	34	6	37		28	
	5			1	2	4

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5045 का हल

4	3	2	5	1	7	6
1	28	6	29	4	30	2
5	4	3	6	2	1	7
2	36	7	38	6	25	3
6	5	4	7	3	2	1
7	33	5	36	5	33	4
3	2	1	4	7	6	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

सरकारी बचत का पीटा जा रहा ढोल

मोहन। देश में 6,38,000 गांवों की संख्या से हिसाब लगाएं तो हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से तकरीबन हजार गांव आएंगे। एक अध्ययन के मुताबिक इस तरह खर्च और उसकी उत्पादकता का आलम यह होगा कि बमुश्किल तीन मीटर कंक्रीट सड़क का निर्माण प्रत्येक गांव–कस्बे के हिस्से आएगा। खास बात यह कि पिछले डेढ़ साल से सांसदों को क्षेत्रीय विकास के लिए यह पैसा भी नहीं मिल रहा। इसके बदले 6,320 करोड़ रुपये की सरकारी बचत का ढोल पीटा जा रहा है। बात करें भारत की तो 1952 से दोनों सदनों द्वारा केवल 14 निजी सदस्य विधेयक पारित किए गए हैं। दिलचस्प है कि इनमें भी छह विधेयक तब पास हुए जब पंडित नेहरू सत्ता में थे। 1956 में फिरोज गांधी ने संसदीय कार्यवाही के तहत प्रेस की आजादी को सुरक्षित करने के लिए प्राइवेट मेंबर बेल पेश किया था। आगे चलकर इस बिल ने संसदीय कार्यवाही (संरक्षण और प्रकाशन) कानून (1956) की शक्ल ली।